02/12/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2017/00366

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार, आर.ए.एस

वाद संख्याः– 220/2017 GCMS:- 2017/00366 दायरा दिनांकः– 07.11.2017

अनवान–

1. रामसिंह
2. बिरमसिंह
3. महेन्द्र सिंह
4. जेठाराम
5. विशाखा राम

} पुत्रगण हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी चक 5 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

...वादीगण

बनाम

1. लीलासिंह पुत्र भागसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(मृतक) :–
   1/1. सुखदेवसिंह
   1/2. काकासिंह
   1/3. गुरजन्टसिंह
   1/4. राजासिंह
   1/5. गोलोसिंह
   } पुत्रगण व पुत्री लीलासिंह जाति बाजीगर निवासी मलकाना खुर्द तहसील केसरीसिंहपुर जिला जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. दर्शनसिंह
4. करनैलसिंह

} पुत्रगण गुरदयालसिंह जाति बावरी निवासी चक 5 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.ए. 1955

उपस्थित–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई अधिवक्ता, **वादीगण**
2. प्रतिवादी न0 3–4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनाकः– 02.12.2024

यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकलाय फरिकैन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे विचारणीय तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी न. 1 लीलासिंह के नाम से संयुक्त खाते में चक 5 एफ.डी.

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 220/2017)

एम. बी में पत्थर नम्बर 98/338 के किला नम्बर 1 ता 25 की 5.945 हैक्टेयर भूमि हैं जिसमें पांचो वादीगण व प्रतिवादी न. 1 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज हैं। प्रतिवादी अपने हिस्सा की 1/6 हिस्सा की भूमि को अच्छी व उपजाउ भूमि का तीसरे व्यक्ति को बेचकर कब्जा देना चाहता हैं। चूंकि भूमि का अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का जब तक खाता विभाजन नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थी न तो अपने हिस्सा की भूमि को बेचान करें व न ही वादीगण के कब्जा काश्त में दखल करे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये।

प्रतिवादी न. 1 की तरफ से जवाबदावा में वाद पत्र के तथ्यों को इन्कारी के रूप में प्रस्तुत किया व वाद पत्र आधारहीन होने के कारण निरस्त करने का निवेदन किया। वादीगण का वाद पत्र अदालत में दिनांक 14.11.2003 को पंजीबद्ध किया गया व प्रतिवादी न. 1 ने दिनांक 04.03.2004 को जवाबदावा मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया गया। वादीगण ने प्रतिदावा व जवाबदावा का जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया। इसी दौरान प्रतिवादी न. 1 द्वारा जैरवाद भूमि में दर्ज अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी न. 3 व 4 को पंजीबद्ध बैयनामा दिनांक 10.03.2004 से बेचान कर दिया व खरीददार प्रतिवादी न. 3 –4 ने अदालत में दिनांक 15.04.2004 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी न. 1 के नाम दर्ज 1/6 हिस्सा की भूमि को उन्होने पंजीबद्ध बैयनामा से खरीद कर लिया हैं। इसलिए उन्हें वाद पत्र में प्रतिवादी न. 3 –4 पर दर्ज कर उन्हें सुना जाये। दोनो पक्षों की सुनवायी के बाद अदालत द्वारा भूमि खरीददारो को हितबद्ध पक्षकार मानते हुए दिनांक 09.07.2004 को उन्हें वाद पत्र में बतौर प्रतिवादी न. 3– 4 पर दर्ज करने का आदेश पारित करने पर संसोधित शीर्षक प्रस्तुत किया गया। इसी दौरान वादीगण द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2004 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 29.07.2004 को भेज दी गई व वहां इस अदालत द्वारा पक्षकार बनाने के आदेश दिनांक 09.07.2004 को यथावत रखने का आदेश दिनांक 07.07.2017 को पारित किया जाकर पत्रावली पुनः अंतिम निर्णय पारित करने के लिए इस अदालत को लौटा देने पर वाद पत्र पुनः दिनांक 07.11.2017 को क्र. सं. 220/2017 पर दर्ज कर दोनो पक्षकारान को सुनवायी हेतु तलब किये जाकर सुनवायी शुरू की गई। प्रतिवादीगण 2 ता 4 बावजूद सूचना के हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 11.02.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। इसी दौरान प्रतिवादी न. 1 का स्वर्गवास हो जाने पर उसके जायज वारिसो को बतौर प्रतिवादी न. 1/1 ता 1/5 पक्षक[illegible] ता 1/5 बावजूद सूचना के हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके [illegible]नांक 13.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी [illegible] अपना 1/6 हिस्सा की भूमि का बेचान प्रतिवादी [illegible] से उसका वाद में कोई हित शेष नहीं रहा। जवाब स्टेट बंद होने पर वाद प[illegible] अन्य अनुतोष सहित 6 तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादीगण करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्या:– 220/2017)

बहस सुनकर बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से किया जा रहा हैं :–

तनकी न. 1 :– आया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाते की चक 5 एफ.डी.एम. बी के पत्थर नम्बर 98/338 के किला नम्बर 1 ता 25 की 5.945 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि संयुक्त खाते की राजस्व रिकार्ड में दर्ज है?

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादीगण पर था जिसको सिद्ध करने के लिए वाद पत्र के साथ उस समय की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर साक्ष्य में वादीगण से प्रदर्श 1 प्रमाणित करवायी गई हैं जिसमें वादीगण व प्रतिवादी न. 1 का हिस्सा दर्ज हैं। इस प्रकार जैरवाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी न. 1 के नाम से भूमि वाद पत्र प्रस्तुत करते समय राजस्व रिकार्ड में होने का साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने से इस तनकी को बहक वादीगण निर्णित की जाती हैं।

तनकी न. 2 :– आया प्रतिवादी संयुक्त खाते की भूमि में से अच्छी व उपजाउ भूमि को बेचने की फिराक में हैं?

इस तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। प्रतिवादी न. 1 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि को प्रतिवादी न. 3– 4 को दिनांक 10.03.2004 को बैय कर दी व उन्हें वाद पत्र में पक्षकार भी बतौर प्रतिवादी न. 3 व 4 पर दर्ज कर लिया गया हैं जिससे यह साबित हो गया हैं कि प्रतिवादी न. 1 अपने नाम के हिस्सा की भूमि को बेचान करना चाहता हैं व वाद प्रस्तुत होने के बाद बैय भी कर देने से वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध कर दिया हैं, इसलिए इस तनकी का निर्णय भी वादीगण के पक्ष में किया जाता हैं।

तनकी न. 3 :– आया कि चक 5 एफ.डी.एम. बी के पत्थर नम्बर 98/338 के किला नम्बर 1, 2 ता 4 की 5.00 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण ने अपने कथन को अपने साक्ष्य के शपथ पत्रो से साबित किया हैं जिसका खंडन प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया गया हैं। वादीगण ने अपने नाम से पानी की पर्ची–रकम व मामला जमा करवाने की रसीदें प्रस्तुत करके अपने कथन को सिद्ध किया हैं। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हैं। इस प्रकार यह तनकी भी बहक वादीगण निर्णीत की जाती हैं।

तनकी न. 4 :– आया कि वादीगण का सम्पूर्ण भूमि 5.945 हैक्टेयर के हर हिस्सा में हिस्सा होने से प्रतिवादीग[illegible]

यह तनकी पूर्व में निर्णित तनकी न. [illegible]रित है जिसमें यह निर्णय किया गया हैं कि जैरवाद सम्पूर्ण [illegible] आ रहा हैं। यह तथ्य सही हैं कि प्रतिवादी [illegible] के क्रेता काश्तकार हैं परन्तु वो तीसरे अनजान पक्षकार हैं, जब तक भूमि का [illegible]ता विभाजन नहीं हो जाता, तीसरा अनजान व्यक्ति संयुक्त खाते की भूमि में कानू[illegible] रूप से प्रवेश करने का कानूनी हक नहीं रखता हैं। प्रतिवादीगण के पास खाता विभाजन करवाने का विकल्प मौजूद हैं जिसका प्रयोग करके वह जैरवाद भूमि का खाता विभाजन करवाने की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(वाद संख्याः– 220/2017)

करने के लिए स्वतन्त्र हैं। बिना खाता विभाजन के प्रतिवादीगण 3 व 4 संयुक्त खाते की भूमि में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होने से इस तनकी का निर्णय विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण किया जाता हैं।

तनकी न. 5:– आया कि वादीगण का वाद पत्र सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(ड़) के प्रावधानो के अन्तर्गत होने से खारिज योग्य हैं ?

इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर था सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 ड़ का सम्मान पूर्व अवलोकन किया गया व विद्वान अभिभाषक वादीगण द्वारा अपर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का भी ध्यानपूर्वक मनन किया गया। जहां वाद पत्र दूसरी प्रति के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो वह इस आदेश के तहत आता हैं। वाद पत्र में अंतिम बहस हो चूकी हैं। इस कमी के लिए प्रतिवादीगण पूर्व में वाद पत्र के सुनवायी के समय अलग से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते थे जो प्रस्तुत नहीं किया गया। अब अंतिम निर्णय के समय यह एतराज लागू किया जाना कानूनसम्मत नहीं होने से यह एतराज खारिज किया जाता हैं।

इस प्रकार पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने व विद्वान अभिभाषक व विद्वान पैरोकार राज की बहस पर मनन करने व बहस के समय वादीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें आरआरडी 2002 पेज 544, आरआरटी 2009 पेज 141, आरआरटी 2020(2) पेज 1081, आरआरडी 1987 पेज 330, आरआरडी 1975 पेज 221, आरआरटी 2016 पेज 264 का भी ससमान अध्ययन किया गया। इन निर्णयों में अपर कोर्टो द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि संयुक्त खाते की भूमि कोई तीसरा पक्षकार क्रय करता हैं तो वह पक्षकार जैरप्रकरण भूमि का खाता विभाजन करवाकर ही उसमें काश्त कर सकता हैं। जैरवाद प्रकरण में भी प्रतिवादी न. 3 व 4 संयुक्त खाते की भूमि के खरीददार काश्तकार हैं परन्तु अजनबी तीसरा पक्षकार होने की वजह से वो अपने हिस्सा तक की भूमि का संयुक्त खाते से भूमि का खाता विभाजन करवा कर ही काश्त कर सकते हैं। सम्पूर्ण साक्ष्यों व पत्रावली का अध्ययन व कानूनी निर्णयों के अवलोकन करने पर अदालत वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित समझती हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण संख्या 1 ता 5 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर उन्हें पाबन्द किया जाता हैं कि जैरवाद भूमि चक 5 एफ.डी.एम. बी पटवार हल्का सादकवाला भू.अभि.नि. क्षेत्र निरवाना तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 47/40 के पत्थर नम्बर 98/338 मु.न. 32 के किला नम्बर 1/1 ता 25 की 5.9450 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में तब तक दखलंदाजी न तो स्वंय करें, न ही किसी अन्य से करावे, जब तक प्रतिवादी न. 3 व 4 जैरवाद भूमि में से अपने 1/6 हिस्सा का खाता विभाजन नहीं करवा ले। इस आशय की डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम जारी की जावे। पत्रावली फैंसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं,
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – संदीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. रामसिंह
2. बिरमसिंह
3. महेन्द्र सिंह
4. जेठाराम
5. विशाखा राम

} पुत्रगण हरदयालसिंह जाति बावरी निवासी चक 5 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

...वादीगण

बनाम

1. लीलासिंह पुत्र भागसिंह जाति बाजीगर निवासी मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर(मृतक) :–
   - 1/1. सुखदेवसिंह
   - 1/2. काकासिंह
   - 1/3. गुरजन्टसिंह
   - 1/4. राजासिंह
   - 1/5. गोलोसिंह

   } पुत्रगण व पुत्री लीलासिंह जाति बाजीगर निवासी मलकाना खुर्द तहसील केसरीसिंहपुर जिला जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।
3. दर्शनसिंह
4. करनैलसिंह

} पुत्रगण गुरदयालसिंह जाति बावरी निवासी चक 5 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय सूरतगढ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 220 वर्ष 2017 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण संख्या 1 ता 5 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कर उन्हें पाबन्द किया जाता हैं कि जैरवाद भूमि चक 5 एफ.डी.एम. बी पटवार हल्का सादकवाला भू.अभि.नि. क्षेत्र निरवाना तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी संवंत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 47/40 के पत्थर नम्बर 98/338 मु.न. 32 के किला नम्बर 1/1 ता 25 की 5.9450 हैक्टेयर कमाण्ड भूमि में वादीगण के कब्जा काश्त में तब तक दखलंदाजी न तो स्वंय करें, न ही किसी अन्य से करावे, जब तक प्रतिवादी न. 3 व 4 जैरवाद भूमि में से अपने 1/6 हिस्सा का खाता विभाजन नहीं करवा ले।

नोज.......... × .... मुबलिग.........× .... बाबत..........×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ...... × .... फस्दो की पालना ....×........ आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिन 02-10-2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.19 13:06:48 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)